# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

# कार्यवृत्त

## प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक

दिनांक

**11 जुलाई, 2023**

स्थान

**बृहस्पति भवन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

## प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक

### कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2023 को अपरान्ह् 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
4. डॉ. विभा शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) — सदस्य
5. डॉ. पंकज चौधरी, (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
6. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ **(ऑनलाईन उपस्थित हुए)** (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
7. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, (प्रमुख शासन सचिव,वित्त/संभागीय आयुक्त, अजमेर, के प्रतिनिधि) — सदस्य
8. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित सदस्यों का अध्यक्ष महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

| मद | विवरण | अनुभाग/विभाग |
|---|---|---|
| मद सं. 1 | प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22.03.2023 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।<br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6798-6809 दिनांक 01.04.2023 के द्वारा प्रेषित की गई । | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं. 2 | प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22.03.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं. 3 | राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के आदेश क्रमांक 6 ( ) FD Rules/2010 जयपुर दिनांक 30.05.2022 जो कि Grant of Conveyance Allowance to Blind, Deaf and Dumb and Orthopedically Handicapped Government Servants के संबंध में है को, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 01.04.2022 से प्रवृत्त एवं मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार के उक्त आदेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 4 | प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17 (10) डीओपी/ए-II/94 जयपुर दिनांक 28.03.2023 जो कि सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त के संबंध में है, के साथ संलग्न परिशिष्ट-"क" (सेवानिवृत कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर देय समेकित पारिश्रमिक राशि) को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रवृत्त एवं मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार के उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त परिपत्र प्रबन्ध बोर्ड के आयोजन की तिथि से प्रभावी एवं मान्य होगा ।** | |
| मद सं. 5 | माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार Principal Secretary Governor of Rajasthan से प्राप्त पत्र क्रमांक :F.1(A)(20)RB/2021 / 2816 dated 24-05-2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)** के साथ संलग्न अकादमिक कलैण्डर सत्र 2023-24 विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | **शैक्षणिक-II** |
| निर्णय | **सत्र 2023-24 हेतु उक्त अकादमिक कलैण्डर को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं. 6 | प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के मद संख्या 24 के निर्णय की अनुपालना में स्वर्गीय श्री मदन लाल शर्मा की आश्रित पुत्री किरण शर्मा एवं स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की आश्रित पुत्री शिवांगी शर्मा के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की मांग किये जाने के प्रकरण में राज्य सरकार की अनुमति/मार्गदर्शनार्थ पत्रांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2022/86617 दिनांक 25.11.2022 प्रेषित किया गया ।<br><br>उपरोक्त पत्र के संदर्भ में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 9 (3)/शिक्षा-4/2022 पार्ट, जयपुर दिनांक 03.02.2023 की टिप्पणीनुसार कार्मिक विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार लेख है कि **"बोर्ड/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगम के अपने नियम होते हैं और कार्मिक विभाग के नियम केवल राजकीय विभागों पर ही लागू होते हैं । अतः इस प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय अपने सक्षम स्तर से निर्णय लेकर समुचित कार्यवाही करें, यह कार्मिक विभाग के समक्ष स्तर से अनुमोदित है ।" (कार्यसूची का परिशिष्ट-4, 5, 6 एवं 7)**<br><br>विश्वविद्यालय अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार केवल स्थायी कर्मचारी अथवा पद के विरूद्ध कार्यरत अस्थायी कार्मिक की मृत्यू होने पर उनके आश्रित को ही अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है । अतः राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त पत्र प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के दौरान कुलसचिव महोदय के द्वारा बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिये जाने का विश्वविद्यालय सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । उक्त तथ्य से अवगत होते हुए निर्णय लिया गया कि कोरोना काल में किसी अस्थाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-**<br>**1. प्रो. शिव प्रसाद**<br>**2. प्रो. शिवदयालसिंह**<br>**समिति की रिपोर्ट को प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।** | |
| मद सं. 7 | विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यवृत्त पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं. 8 | विभिन्न महाविद्यालयों से विभिन्न शुल्कों पर जी.एस.टी. प्राप्ति के लिये निर्देशानुसार मद बनाते हुये प्रकरण गत प्रबंध बोर्ड (104वीं बैठक) में निम्नानुसार रखा गयाः-<br><br>''कार्यालय आदेश क्रमांक 26163-462 दि. 28.07.15 व अध्यादेश 70-ए के नियम 19-प के अनुसार विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क व आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की जा रही है । उक्त आदेशों/अध्यादेश में जी.एस.टी. का निर्धारण नहीं होने के कारण वर्तमान में जी.एस.टी. नहीं ली जा रही है । निर्देशानुसार महाविद्यालयों से जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिये जाने हेतु मद प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।''<br><br>प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2023 के मद संख्या 6 के निर्णय संख्या 6 (1) की पालना में Principal Secretary, Higher Education, Secretariat Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj) को पत्र क्रमांक 10405 दि. 06.05.23 द्वारा जी.एस.टी. से छूट प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-09)**<br><br>निर्णय सं. 6 (2) की पालना में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक 8549 दि. 20.04.23 जारी किया गया जिसके अनुसार सभी महाविद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2023-24 अर्थात 01 अप्रेल, 2023 से प्राप्त होने वाले सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क, अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क, आर्थिक दण्ड/शास्ति व अन्य शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाने का प्रावधान लागू किया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**<br><br>निर्णय सं. 6(3) की पालना में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 8160-8540 दि. 20.04.23 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क, अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क, आर्थिक दण्ड/शास्ति व अन्य शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि जमा कराने बाबत् अन्य विश्वविद्यालयों (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर) के अनुसार सूचित किया गया । उक्तानुसार पूर्व के सत्र 2017-18 से 2022-23 एवं वर्तमान सत्र 2023-24 का 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा नहीं होने की स्थिति में सत्र 2023-24 की सम्बद्धता व उससे संबंधित सेवा किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी । इसकी पालना के अभाव में महाविद्यालय के छात्रों को होने वाली असुविधा/परेशानी की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी ।'' अनुसार सूचित किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)**<br><br>प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णयों की पालना की जा रही है एवं सम्बद्धता संबंधी प्रकरणों में सम्बद्धता समिति की अनुशंसा व माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् महाविद्यालयों को आर्थिक दण्ड/सम्बद्धता शुल्क व अन्य शुल्क मय जी.एस.टी. जमा कराने हेतु | **शैक्षणिक-II** |

| | | |
|---|---|---|
| | सूचित किया जा रहा है और महाविद्यालय जी.एस.टी. सहित शुल्क जमा करा भी रहे हैं ।<br><br>जिन महाविद्यालयों को पूर्व में आर्थिक दण्ड जमा कराने हेतु सूचित किया गया एवं उनके द्वारा 31 मार्च, 2023 तक उक्त आर्थिक दण्ड/शुल्क (बिना जी.एस.टी.) जमा कराया गया है उनकी सम्बद्धता माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सत्र 2017-18 से विभिन्न सत्रों का सम्बद्धता शुल्क/आर्थिक दण्ड पर जी.एस.टी. की गणना कर जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया जा रहा है । परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के विरोधाभास/कठिनाई कार्य में उत्पन्न हो रही है ।<br><br>1. प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या 6 (3) की अनुपालना में जारी पत्र क्रमांक 8160 दिनांक 20.04.23 के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों से सत्र 2017-18 से जी.एस.टी. वसूली की जा रही है । इस क्रम में सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी अनुशंसा माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत जी.एस.टी. वसूली हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को पत्र जारी किये जा रहे हैं । तदुपरान्त इसी क्रम में पत्रावली पर वित्त नियन्त्रक महोदय द्वारा निम्नानुसार राय प्रेषित की गयीः-<br>" It is clear in the 104th BOM decision what is there decided in point No. 1,2, 3. Point No. 3 of 104th BOM decision clearly indicates a letter is to be sent to the bodies seeking affiliation for GST liability since 2017 for information. Since the matter of GST is put in BOM in 2023 the previous years decision for GST is a liability which was not taken by the University, since it was not put before BOM. Firstly 104th BOM has been asked to send exemption proposal to Govt. as asked by higher education dept. Secondly from 2023, GST would be collected as it is being collected in other Universities like MLSU, JNVU etc. Thirdly, it would be informed to the colleges about the liability of GST to colleges being affiliated since the act came into force."<br><br>उक्त राय अनुसार अब सम्बद्धता समिति के द्वारा जिस सत्र से सम्बद्धता वृद्धि की कार्यवाही की जा रही है उसी सत्र से आर्थिक दण्ड/विलम्ब शुल्क इत्यादि की गणना की जा रही है उससे पूर्व जमा सत्रों की (जहां तक की सम्बद्धता वृद्धि जारी हो चुकी है) जमा सम्बद्धता शुल्क/विलम्ब शुल्क/आर्थिक दण्ड इत्यादि किसी पर भी जी.एस.टी. नहीं वसूली जा रही है क्योंकि राय के अनुसार पूर्व में ही उल्लेखित पत्र क्रमांक 8160 दि. 20.04.23 के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों को सूचना भेजी जा चुकी है । अतः प्रबन्ध मण्डल के निर्णय सं. 6 (3) के क्रम में जारी पत्र क्रमांक 8160 दि. 20.04.23 तथा वित्त नियन्त्रक महोदय से प्राप्त राय के क्रम में उत्पन्न विरोधाभास स्थिति पर विचार कर निर्णय करना । | |

| | | |
|---|---|---|
| | **2.** प्रबन्ध मण्डल के मद संख्या 6 (3) निर्णयानुसार जारी पत्र क्रमांक 8160-8540 दिनांक 20.04.23 के अनुसार सत्र 2017-18 से 2023-24 तक के सम्बद्धता से संबंधित समस्त शुल्कों यथा-सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क, अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क (If applicable) आर्थिक दण्ड/शास्ति (Penalty) अन्य शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अविलम्ब जमा कराये जाने की पालना सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें अन्यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व माल एवं सेवा कर आयुक्तालय द्वारा जो भी शास्ति व ब्याज लगाया जायेगा उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी ।<br><br>ज्ञातव्य रहे कि उक्तानुसार पूर्व के सत्रों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23) एवं वर्तमान सत्र 2023-24 का 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा नहीं होने की स्थिति में सत्र 2023-24 की सम्बद्धता व उससे संबंधित सेवा किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी । अतः इसकी पालना के अभाव के फलस्वरूप आपके महाविद्यालय के समस्त छात्रों को होने वाली असुविधा/परेशानी की समस्त जिम्मेदारी आपकी संस्था/महाविद्यालय प्रशासन की होगी, के क्रम में विभिन्न महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 से जी.एस.टी. वसूलने हेतु पत्र दिया जा रहा था लेकिन वित्त नियन्त्रक महोदया से प्राप्त पत्र क्रमांक 486 दि. 02.06.23 के अनुसार महाविद्यालय को एक पत्रावली पर जिसमें महाविद्यालय ने सत्र 2014-15 व 2015-16 का आर्थिक दण्ड जमा कराया जा रहा था उस पर भी जी.एस.टी. लागू होना बताया है । इस संबंध में विधि विशेषज्ञ की राय निम्नानुसार है:-<br><br>**"पत्रावली के अनुसार BOM के निर्णय दिनांक 22.03.2023 की पालना की गई है तथा माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ही जी.एस.टी. वसूल की जा रही है । वर्ष 2017 से पूर्व जी.एस.टी. नियम लागू ही नहीं थे इसलिये वर्ष 2017 से पूर्व जी.एस.टी. लेने का कोई प्रावधान मेरी राय में नहीं है।"**<br><br>**उक्त परिस्थिति में प्रकरण पर विचार कर निर्णय करना ।**<br><br>**3.** जिन महाविद्यालयों ने सत्र 2017-18 से नवीन अस्थायी सम्बद्धता/स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन कर नियमानुसार शुल्क जमा कराया है तथा किन्हीं कारणवश सम्बद्धता नहीं चाहने के कारण उनके द्वारा जमा शुल्क नियमानुसार लौटाये जा रहे है । उस जमा कराये गये शुल्क पर जी.एस.टी. जमा कराये जाने के निर्धारण बाबत् सूचित किये जाने के निर्णयार्थ प्रकरण प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । इस प्रकरण में अपनी राय प्रकट करने के लिए वित्त नियंत्रक को आमंत्रित किया गया । वित्त नियंत्रक की राय को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. जिन महाविद्यालयों के द्वारा 31 मार्च, 2023 तक विश्वविद्यालय के पत्र के आधार पर आर्थिक दण्ड और अन्य शुल्क बिना जी.एस.टी. के जमा करा दिये गये हो, उन महाविद्यालयों के लिए सम्बद्धता संबंधी समस्त कार्यवाही यथा- अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि, नवीन अस्थाई सम्बद्धता एवं सीट अभिवृद्धि की जाय ।<br>2. जिन महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय सम्बद्धता से संबधित कोई भी शुल्क दिनांक 01.04.2023 के पूर्व जमा करा दिया हो उन पर राज्य सरकार को पूर्व में प्रेषित पत्र क्रमांक 10405 दिनांक 06.05.2023 के क्रम में दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक जी.एस.टी. नहीं लिया जाना है तथा महाविद्यालयों को निरन्तर सम्बद्धता संबंधी सेवाएं प्रदत्त की जानी है एवं जिस सत्र से (सत्र 2017-18 से 2022-23 तक) सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही (अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि, नवीन अस्थाई सम्बद्धता, सीट अभिवृद्धि व अन्य शुल्क) की जानी है, उस पर ही 18 प्रतिशत जी.एस.टी. वसूला जाय ।<br>3. वर्ष 2017-18 ही पूरे देश में जी.एस.टी. लागू किया गया है । अतः वर्ष 2017-18 से पूर्व के सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, आर्थिक दण्ड व अन्य शुल्क इत्यादि पर जी.एस.टी. नहीं लिया जाय ।<br>4. यदि किसी महाविद्यालय के द्वारा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व नवीन सम्बद्धता हेतु आवेदन किया हो और वह किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अब नवीन महाविद्यालय/नवीन विषय प्रारम्भ नहीं करना चाहता हो तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी राशि/शुल्क नियमानुसार वापस ले लिया हो या लेना चाहता हो, तो उनके द्वारा जमा कराई गई राशि यथा- सम्बद्धता शुल्क व निरीक्षण शुल्क पर जी.एस.टी. नहीं लिया जाय । | |
| मद सं. 9 | प्रबंध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के मद संख्या 07 के निर्णय के अनुसार डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 को सेवा नियमानुसार जारी शास्ति के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा, उनके द्वारा की गई अपील, विलम्ब के कारणों, इनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक होने के संबंध में, प्रबंध बोर्ड में इनकी वेतन वृद्धि रोकने के प्रकरण को प्रबंध बोर्ड में रखा गया अथवा नहीं आदि के संबंध में छानबीन करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई थी:-<br>1. कुलसचिव<br>2. वित्त नियंत्रक<br>3. प्रो0 शिवदयाल सिंह-माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य | संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | उक्त समिति की बैठक दिनांक 20.04.2023 को प्रातः 11:30 बजे कुलसचिव महोदय के कक्ष में आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट-12)** | |
| निर्णय | **समिति की उक्त रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में पूर्व में गठित समिति के द्वारा श्री विनोद जैन,ए.सी.पी. का नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) कौन है, के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाय तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक राय लेकर समिति की रिपोर्ट एवं विधिक राय पुनः आगामी प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत की जाय ।** | |
| मद सं. 10 | **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-**<br>**(1) प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गईः-<br>1. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.01.2021 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2021/2051-2062 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा स्व. श्री पृथ्वीसिंह, सहायक अनुभागाधिकारी के आश्रित पुत्र श्री विनय सिंह को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)**<br>2. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2021 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2021/26749-26758 दिनांक 15.12.2021 के द्वारा स्व. श्री अशोक कुमार आड़वानी, सहायक अनुभागाधिकारी के आश्रित पुत्र श्री दीपक आडवानी को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)**<br>3. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.05.2022 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2022/15921-930 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा स्व. श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री दीपक शर्मा को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.05.2023 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2023/13392-401 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा स्व. श्री महेन्द्र सिंह नेगी, सहायक कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री हरीश नेगी को सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)**<br>अनुकम्पा नियुक्तियों के दिये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशों के क्रम में जारी कार्यालय आदेश पुष्टि हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी ।** | |
| | **(2) प्रतिवेदन है कि,** राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ते नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश **(कार्यसूची का परिशिष्ट-17 एवं 18)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रतिवेदित है:- | **लेखा एवं वित्त** |

| क्र. सं. | कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक | तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई | संशोधित दर |
|---|---|---|---|
| 1 | No.6(41)A&F/MDSU/2023/783 Dated 31-05-2023 | 01-01-2023 | 212% से 221% (6th pay) |
| 2 | No.6(41)A&F/MDSU/2023/10060 Dated 01-05-2023 | 01-01-2023 | 38% से 42% (7th pay) |

| | | |
|---|---|---|
| | **पुष्टि की गयी ।** | |
| | **(3) प्रतिवेदन है कि,** राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत्त किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश **(कार्यसूची का परिशिष्ट-21 एवं 22)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है:- | **लेखा एवं वित्त** |

| क्र. सं. | कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक | तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई | संशोधित दर |
|---|---|---|---|
| 1 | F.12 (8)FD (Rules) 2017 Dated 25-03-2023 No.6()CoF/MDSU/2023/34 Dated 12-04-2023 | 01-01-2023 | 38% से 42% |
| 2 | F.12 (8)FD (Rules) 2013 Dated 25-05-2023 No.6( ) CoF/MDSU/ 2023/ 12757 Dated 30-05-2023 | 01-01-2023 | 212% से 221% |

निर्णय — पुष्टि की गयी ।

**(4) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय की वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09.02.2023 के अनुमोदन की पुष्टि करना।**

सामान्य प्रशासन

**स्पष्टीकरणः-**

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38(4) के प्रावधानान्तर्गत एवं प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक के मद संख्या 4(3) के तहत प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा **''भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन समय से तैयार कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करावें यदि निकट भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो सर्कुलेशन के आधार पर कार्यवाही कर राज्य सरकार को भिजवावे''** का निर्णय लिया गया है। अतः प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के प्रारूप का माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 09.02.2023 पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड की बैठक निकट भविष्य मे आयोजित नहीं होने एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.18 (02) शिक्षा-4/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक 09.02.2023 की पालना में यथा समय बजट सत्र में वार्षिक प्रतिबेदन वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 विधान सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों से सर्कुलेशन के अभाव में शीघ्र तैयार करवाकर पांच प्रतियां माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, के अनुमोदनार्थ भी प्रेषित की गई। माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् 25 प्रतियां (मय पैन ड्राईव) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार,

| | | |
|---|---|---|
| | जयपुर को विश्वविद्यालय पत्रांक 3569 दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित कर दी गई।<br><br>अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09.02.2023 के अनुमोदन के आदेश एवं वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-23)** | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी साथ ही निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त ही वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाय । यदि निकट भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो बोर्ड के सदस्यों से सर्कुलेशन के आधार पर अनुमोदन की कार्यवाही कर वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवायी जाय ।** | |
| मद सं 11 | संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 मय संलग्नक एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 17.06.2023 जो कि राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहाँ NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत है, जिसे महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-19 एवं 20)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । वित्त नियंत्रक भी उक्त मद पर विचार करते समय बैठक में उपस्थित थी । अतः उनसे भी इस प्रकरण पर राय मांगी गयी तथा उनकी राय को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-**<br><br>**1. विश्वविद्यालय कार्मिकों की समस्या एवं हितों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में जो मानदण्ड राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित किये गये है, उन्हीं मानदण्डों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाय ।**<br>**2. राज्य सरकार से इस संबंध में यदि कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कर्मचारियों द्वारा इस हेतु एकमुश्त जमा कराये जाने वाली राशि अधिक होने के कारण उन्हें आर्थिक राहत** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत ऋण की ब्याज दर पर ऋण दिया जाय तथा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए तीन वर्षो के अंदर दी गयी ऋण की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय ।** | |
| मद सं. 12 | विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के रोस्टर निर्धारण हेतु आदेश क्रमांक एफ 1 संस्था/मदसविवि/2023/6156-65 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा पुनर्गठित समिति की रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-24)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **समिति की उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तथा शिक्षक भर्ती से संबंधित रोस्टर को अनुमोदन हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 13 | राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग (A-Gr.II) द्वारा जारी नोटिफिकेशन No. F.7 (2)DOP/A-II/2006 Part II Jaipur, Dated 08-09-2017 जो कि विभागीय पदोन्नतियों हेतु निर्धारित अनुभव में संशोधन से संबंधित है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । उक्त आदेश दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगा । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-25)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार के उक्त आदेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 14 | राजस्थान सरकार वित्त विभाग रूल्स डिविजन द्वारा जारी नोटिफिकेशन No. F.12(3) FD/Rules/2010 जयपुर दिनांक 27.06.2018 जो कि (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66 (1) एवं नियम 67(B) (C) (D) में परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए क्रमशः परिवार शब्द की परिभाषा एवं परिवार पेंशन प्राप्त करने की शर्त की ''मासिक आय'' संबंधी Clause में संशोधन से संबंधित है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-26)** | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 15 | कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (4)डी.ओ.पी./ए-2/2023-04341 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार संलग्न अनुसूची यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करते हुए ''परन्तु यह भी कि यदि वर्ष 2023-24 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनुभव या सेवा के अनुभव या, | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा । तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा । तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण केवल एक वर्ष के लिए दिया जायेगा किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा ।" उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-27)** | |
| निर्णय | **राज्य सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 16 | विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-28)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं. 17 | वित्त समिति की 41वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-29)** | **लेखा एवं वित्त** |
| | **उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । वित्त समिति के कार्यवृत्त में कई अनुशंसाएं ऐसी है जिन पर प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाना है। अतः उन अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-**<br>**1. <u>अनुशंसा संख्या 3-एः-</u> विश्वविद्यालय के कार्मिकों/अधिकारियों के द्वारा एक वर्ष में लिये जा रहे मानदेय/ पारिश्रमिक/ ऑवरटाईम इत्यादि के भुगतान की सीमा को माननीय राज्यपाल महोदय के पत्र क्रमांक एफ 1(38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2017 के क्रम में पुनः राशि रूपये 1.00 लाख निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**<br>**2. <u>अनुशंसा संख्या 3-बीः-</u> विश्वविद्यालय में पदस्थापित वाहन चालकों के द्वारा कार्यालय समय से अतिरिक्त सेवायें देने पर Remunaration/Honorerium/Hard Duty Allowance हेतु किये जा रहे 20/-रूपये प्रति घण्टा (प्रतिदिन अधिकतम सीमा राशि रूपये 100/-) को बढ़ाकर 25/-रूपये प्रति घण्टा (प्रतिदिन अधिकतम सीमा राशि रूपये 150/-) किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |

3. <u>अनुशंसा संख्या 10:-</u> विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सक का मानदेय राशि रूपये 22,000/- एवं मेल नर्स का मानदेय 20,000/- रूपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया ।

4. <u>अनुशंसा संख्या 11:-</u> विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त चैकों पर राजपत्रित अधिकारी सहित निम्नानुसार **Double Signature** होने पर ही चैक जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

| S.No | Designated Signatory | Amount | Sign.Double |
|---|---|---|---|
| 1 | Sr.A.O./A.R./S.O./Asst. Acct.Officer | Up to 10 Lacs | Double Signature |
| 2 | CoF&Sr. A.O./A.R. | 10 Lacs and above | Double Signature |

5. <u>अनुशंसा संख्या 13:-</u> उक्त अनुशंसा पर प्रेक्षण कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक, माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति की शर्त पर आवश्यक खरीद व सेवाओं (**Electronic, Electric items and repair & maintenance hiring services etc.**) हेतु राशि रूपये 5.00 लाख वार्षिक की सीमा तक, आर.टी.पी.पी. एक्ट के नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार डिपार्टमेंटल स्पॉट परचेज कर सकेंगे । संबंधित विभागाध्यक्षों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा आपातकालीन स्थिति में एक बार तथा सामान्य स्थितियों में दो बार नियमानुसार सामान्य प्रशासन/अभियन्ता कार्यालय को सूचित करने के उपरान्त समेकित समाधान नहीं होने पर माननीय कुलपति महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात् ही उक्तानुसार कार्यवाही की जाय ।

6. <u>अनुशंसा संख्या 14:-</u> किसी एक बैंक के द्वारा लगातार उच्चतर ब्याजदर का ऑफर देने एवं विश्वविद्यालय के द्वारा उच्चतर ब्याजदर के ऑफर के आधार पर उसी बैंक में लगातार निवेश करने पर विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण जमा राशि का एक ही बैंक में निवेश होने से वित्तीय अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है । अतः प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक एवं शिड्यूल्ड बैंक में राशि रूपये 100.00 करोड़ तक की सीमा तक ही निवेश किया जाय । किसी एक बैंक में राशि रूपये 100.00 करोड़ जमा हो जाने एवं उसी बैंक के द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| | पुनः उच्चतर ब्याजदर का ऑफर देने पर **Next Highest Rate of Interest** का ऑफर देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक एवं शिड्यूल्ड बैंक में निवेश किया जाय ।<br><br>7. <u>अनुशंसा संख्या 15(2):-</u>विश्वविद्यालय हित में **Income Sources Generation & Maintenance** की दृष्टि से विश्वविद्यालय के सत्यार्थ सभागार (**Completion Certificate** जारी होने व चार्ज हेन्डेड ऑवर टेकन ऑवर होने के उपरान्त)/खेल मैदान को बाहरी एजेन्सियों/राजकीय/अन्य को भवन निर्माण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 की अनुशंसानुसार किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया गया ।<br><br>8. <u>अनुशंसा संख्या 15(4):-</u> राजस्थान सरकार की आर.जी.एच.एस. स्कीम को विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों पर ऐच्छिक रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।<br><br>9. <u>अनुशंसा संख्या 15(8):-</u> विश्वविद्यालय के बजट वित्त व लेखा नियम, 1997 के नियम 49 व 50 अन्तर्गत संबंधित व्ययों हेतु अन्य शैक्षणिक विभागों की भांति कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक को राशि रूपये 25,000/- **Imprest Amount** स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । | |
| मद सं. 18 | पूर्व में, 17 नवम्बर, 2022 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक के मद संख्या 30 पर उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । बैठक में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था ।<br><br>विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति वर्तमान में रिक्त चल रहे पदों यथा-मशीन ऑपरेटर-02, कुक-01 एवं स्वीपर-01 के पदों पर विभागीय समिति के माध्यम से योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पूर्व की भांति आवेदन आमंत्रित कर साक्षात्कार के माध्यम से योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है ।<br><br>महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन ऑपरेटर के रिक्त पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से योग्य कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित कर विभागीय समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया था । वर्ष 2006 में, अंतिम बार श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, च. श्रे.क. को मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ।<br><br>सहायक कर्मचारी संघ ने इन रिक्त पदों को विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों से भरे जाने बाबत् पूर्व में अनेक बार मांग-पत्र प्रस्तुत किया है । प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है । | संस्थापन |
| निर्णय | **विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 36-ए के अनुसार किसी भी पद पर राज्य सरकार की सहमति के बिना भर्ती नहीं की जा सकती है । अतः** | |

| | | |
|---|---|---|
| | उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से उक्त पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाय । | |
| मद सं. 19 | भवन निर्माण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत पर विचार कर निर्णय करना । | अभियन्ता कार्यालय |
| निर्णय | उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । | |
| मद सं. 20 | <u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः-</u><br>1. विश्वविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमियों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तथा विश्वविद्यालय को आवंटित सम्पूर्ण जमीन का सीमांकन भी नहीं किया हुआ है । अतः विश्वविद्यालय को आवंटित जमीन का सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया ।<br>2. कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर रहे शिक्षकगणों के द्वारा उन्हें दिये गये पदोन्नति के लाभ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली, 2010 के प्रावधानान्तर्गत "<u>कार्य ग्रहण करने की दिनांक</u>" के स्थान पर "<u>पात्रता की दिनांक</u>" से दिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को पत्र दिनांक 10.07.2023 दिया गया था। कुलसचिव महोदय के द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण को पूर्व में भी प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के मद संख्या 05 पर प्रस्तुत किया गया था । जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन, 2010 के अनुसार विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया । समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं हो सकी । अतः शिक्षकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र को पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रकरण पर प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार के द्वारा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु समान प्रकरण में की गयी कार्यवाही, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के द्वारा जारी आदेशों तथा प्रो. रीटा मेहरा के प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच के द्वारा दिये गये निर्णय का अध्ययन/परीक्षण कर रिपोर्ट देने हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन करने हेतु कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव दिया जाय तथा गठित समिति की अनुशंसा आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाय । | अभियन्ता कार्यालय<br>संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. विश्वद्यिालय के श्रृद्धानन्द अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों के द्वारा चाहने पर भोजन एवं चाय उपलब्ध कराने हेतु कोई भी कांट्रेक्ट नहीं किया हुआ है । इससे श्रृद्धानन्द अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रृद्धानन्द अतिथि गृह की आऊट सोर्सिंग की जाय । यदि किन्हीं कारणों से श्रृद्धानन्द अतिथि गृह की आऊट सोर्सिंग नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में भोजन/चाय की व्यवस्था के संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । | प्रभारी, श्रृद्धानन्द अतिथि गृह |

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव 27/7/23